संख्या– 756 /33-3-2010–100(9)/2010

प्रेषक,

डी0एस0श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 26 अप्रैल, 2010

विषयः केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या–5/15/2010–5/50/2010, दिनांक 05 अप्रैल,2010 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/10, दिनांक 26–3–2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत उक्त योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 4410.00 लाख में से 25 प्रतिशत धनराशि रु0 1102.50 लाख (रु0 ग्यारह करोड़ दो लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/10, दिनांक 26–3–2010 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपद वार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशियल हैण्डबुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक लाभार्थियों हेतु राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्राशं प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।

(5) इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाऍ परीक्षण/सत्यापन हेतु शासन को उपलब्ध कराई जाए।

(6) उक्त धनराशि का व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा

प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

(7) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101 –पंचायती राज–08–ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (विशेष प्रोत्साहन)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा।

(9) शासकीय व्यय में मितब्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितब्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(11) आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेज़िग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1/दस–2010–231/10 दिनांक 26–3–2010 में निहित प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डी.एस.श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र
4– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
5– एन0आई0सी0 की प्रति।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–2/वित्त (बजट) अनु0–2।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या- 756/33-3-2010-100(9)/2010
दिनांक 28-4-10 का संलग्नक

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं का आवंटन/[illegible] (विशेष प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-14 *(धनराशि लाख रुपये में)*

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
1	मेरठ	22.80	5.70
2	बागपत	15.38	3.85
3	गाजियाबाद	12.32	3.08
4	गौतमबुद्धनगर	14.33	3.58
5	बुलन्दशहर	8.65	2.16
6	सहारनपुर	24.83	6.21
7	मुजफ्फरनगर	18.95	4.74
8	आगरा	22.75	5.69
9	अलीगढ़	22.66	5.67
10	हाथरस	13.60	3.40
11	एटा	5.90	1.48
12	मैनपुरी	24.05	6.01
13	मथुरा	15.94	3.99
14	फिरोजाबाद	12.84	3.21
15	कांशीरामनगर	19.88	4.97
16	बरेली	31.60	7.90
17	बदायूं	21.20	5.30
18	पीलीभीत	41.22	10.31
19	शाहजहाँपुर	64.81	16.20
20	मुरादाबाद	46.90	11.73
21	जे0पी0 नगर	57.57	14.39
22	रामपुर	59.59	14.90
23	बिजनौर	74.26	18.57
24	लखनऊ	153.89	38.47
25	रायबरेली	60.38	15.10
26	हरदोई	512.33	128.08
27	उन्नाव	167.94	41.99
28	सीतापुर	370.75	92.69
29	लखीमपुर खीरी	63.30	15.71
30	फैजाबाद	39.21	9.80
31	अम्बेडकर नगर	45.54	11.39
32	सुल्तानपुर	51.73	12.93

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
33	बाराबंकी	152.65	38.16
34	गोण्डा	38.43	9.61
35	बलरामपुर	15.13	3.78
36	बहराइच	64.70	16.18
37	श्रावस्ती	26.89	6.72
38	इलाहाबाद	56.94	14.24
39	कौशाम्बी	48.31	12.08
40	फतेहपुर	28.42	7.11
41	प्रतापगढ़	21.06	5.27
42	वाराणसी	11.03	2.76
43	चन्दौली	27.46	6.87
44	गाजीपुर	40.21	10.05
45	जौनपुर	118.82	29.71
46	मिर्जापुर	191.80	47.95
47	सोनभद्र	515.37	128.84
48	संतरविदासनगर	10.49	2.62
49	हमीरपुर	37.98	9.50
50	बांदा	59.59	14.90
51	चित्रकूट	41.50	10.38
52	महोबा	23.58	5.90
53	गोरखपुर	66.96	16.74
54	महाराजगंज	36.22	9.06
55	देवरिया	15.95	3.99
56	कुशीनगर	36.94	9.24
57	बस्ती	28.73	7.18
58	संतकबीर नगर	32.17	8.04
59	सिद्घार्थनगर	18.93	4.73
60	आजमगढ़	161.18	40.30
61	मऊ	70.72	17.68
62	बलिया	32.32	8.08
63	कानपुर नगर	28.70	7.18
64	कानपुर देहात	51.58	12.90
65	फर्रूखाबाद	28.44	7.11
66	कन्नौज	13.30	3.33
67	इटावा	47.06	11.77
68	औरैया	47.92	11.98
69	झांसी	10.77	2.69
70	ललितपुर	16.38	4.10
71	जालौन	18.27	4.57
कुल योग-		4410.00	1102.50